

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक: 212/स.सा.प्र.वि./2020
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/04/2020

1. समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक,
2. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक,

विषय:- नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के अंतरराज्यीय मूवमेंट के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:- गृह सचिव, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 29/04/2020

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के अंतरराज्यीय मूवमेंट के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ इन निर्देशों के परिपालन में अंतरराज्यीय मूवमेंट हेतु अनुमति दी जा सकती है परंतु अन्य राज्यों के हॉटस्पॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने के लिए अनुमति न दी जाये।

3/ पूर्व में अप्रभावित जिलों के हॉटस्पॉटस घोषित होने की दशा में भी अंतरराज्यीय मूवमेंट हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाकर अन्य राज्यों के हॉटस्पॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी।

4/ राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले, अन्य राज्य में जाने वाले तथा राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रांजिट करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संलग्न प्रारूप अनुसार संधारित की जाये।

संलग्न:- प्रारूप उपरोक्तानुसार।

KPS
29/4/20
(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पार्क रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
9. समस्त विभागाध्यक्ष,
10. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

KPF
सचिव, 29/4/20

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अन्य राज्यों से व्यक्तियों के छत्तीसगढ़ आने / जाने / ट्रांजिट पर जानकारी एकत्रित करने हेतु

प्रारूप

जिले का नाम—

स.क्र.	व्यक्ति का नाम	आयु	छत्तीसगढ़ का आगमन तिथि / समय एवं स्थल	आने का माध्यम, बस, रेल, वाहन, अन्य जानकारी (बस नंबर, वाहन नंबर, ट्रेन नंबर इत्यादि)	लॉकडाउन में अथवा छत्तीसगढ़ आने से पूर्व लॉकडाउन अवधि में राज्य का पता, जिला एवं राज्य सहित	राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर गंतव्य स्थल का पता, जिला एवं राज्य सहित	मोबाईल या नंबर	नंबर	श्रेणी (श्रमिक / तीर्थ यात्री / पर्यटक / छात्र / अन्य श्रेणी)

No.40-3/2020-DM-I (A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 29th April, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Orders No.40-3/2020-DM-I(A) dated 15th April, 2020, 16th April, 2020, 19th April 2020, 21st April 2020 and 24th April 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders **to include** the following in the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries /Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State /Union Territory Authorities:

Sub-clause (iv) under Clause 17 on Movement of persons:

- iv. Due to lockdown, migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons are stranded at different places. They would be allowed to move as under:
- a. All States/ UTs should designate nodal authorities and develop standard protocols for receiving and sending such stranded persons. The nodal authorities shall also register the stranded persons within their States/ UTs.
 - b. In case a group of stranded persons wish to move between one State/ UT and another State/ UT, the sending and receiving States may consult each other and mutually agree to the movement by road.
 - c. The moving person (s) would be screened and those found asymptomatic would be allowed to proceed.
 - d. Buses shall be used for transport of groups of persons. The buses will be sanitized and shall follow safe social distancing norms in seating.
 - e. The States/ UTs falling on the transit route will allow the passage of such persons to the receiving State/ UT.
 - f. On arrival at their destination, such person(s) would be assessed by the local health authorities, and kept in home quarantine, unless the assessment requires keeping the person(s) in institutional quarantine. They would be kept under watch with periodic health check-ups. For this



purpose, such persons may be encouraged to use **Aarogya Setu** app through which their health status can be monitored and tracked.

The guidelines of the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) on Home Quarantine, dated 11.03.2020 may be referred to in this regard, which are available at <https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf>.


Home Secretary 29/04/2020

To: (As per list attached)

1. The Secretaries of Ministries /Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories

Copy to:

- i) All members of the National Executive Committee.
- ii) Member Secretary, National Disaster Management Authority.